न्याय आपके द्वार अभियान के माध्यम से राहत देने का सरकार ने किया नवाचार

किसानों के लिए हुआ कारगर

- राजस्व मंत्री

झुंझुनूं, 15 जून। राजस्व, उपनिवेशन, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास राज्य मंत्री अमराराम चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार ने राजस्व लोक अदालत न्याय आपके के माध्यम से जनता को अदालती मामलों में राहत देने का जो नवाचार किया है वह किसानों के लिये बहुत कारगर साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत आपसी समझाइश से भी किसानों को राजस्व मुकदमों से राहत मिली है।

श्री चौधरी शुक्रवार को नवलगढ़ पंचायत समिति के नवलड़ी ग्राम के अटल सेवा केन्द्र में राजस्व विभाग द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप मेंे संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुकदमों में राहत मिलने से किसानों की आर्थिक हालत में भी सुधार हुआ है, वरना उसका अधिकांश समय अदालतों के चक्कर काटते काटते ही बीत जाता है।

राजस्व मंत्री ने मुख्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की प्रशंसा करते हुए कहा कि किसानों की हितेषी एवं जन कल्याण कारीसरकार ने ही प्रदेश के हर व्यक्ति के लिये ऐसे नवाचार किये हैं जिससे कि सभी वर्गों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो या मुद्रा योजना सभी वर्गों के लिये लाभकारी है। आम जनता को इन योजनाओं का लाभ लेने के लिये जागरूक होने की जरूरत है।

श्री चौधरी ने राजस्व मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्व मंडल ने10 हजार ग्राम पंचायतों में ई-मित्र प्लस कियोस्कों के माध्यम से 917 न्यायालयों में दर्ज उनके मुकदमों के फैसलों की नकलें स्थानीय स्तर पर ही मिल जायेंगी। उन्होंने बताया कि इन ई-मित्रों कियोस्कों के माध्यम से सरकार ने दस हजार लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवाया है।

उन्होंने 11 जिलों में सेटेलाइट सर्वे का कार्य शुरू हो गया है तथा शेष जिलों के लिये भी शीघ्र स्वीकृति मिलने के आसार है। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों को न्याय आपके द्वार अभियान का लाभ लेना चाहिये, जिससे कि उसे अदालतों की चक्कर काटने से मुक्ति मिल जाये।

उन्होंने नवलड़ी में ई-मित्र कियोस्क का विधिवत लोकार्पण भी किया। इससे पूर्व उन्होंने लोगों को उनकी भूमि के पट्टे21गैस कनेक्श एवं 3 विकलांग व्यक्तियों को ट्राई साईकिले भी वितकिरत की।

इस अवसर पर राजस्व मण्डल अजमेर के अध्यक्ष वी.श्रीनिवास राजस्व मण्डल सदस्य इन्द्रसिंह राव, जिला कलक्टर दिनेश कुमार यादव, राजस्व अपील अधिकारी बी.एल. मेहरडा, अतिरिक्त जिला कलक्टर मुन्नीराम बागडिया, एसडीएम अल्का विश्नोई, तहसीलदार दमयंती कंवर सहित सभी विभागों के अधिकारी एवं जन प्रतिनिधि उपस्थित थे।

राजस्व न्यायालयों के फैसले अब इ-मित्र प्लस मशीन पर

झुंझुनूं, 15 जून। राज्य सरकार अपनी सेवाओं को नागरिकों के घर तक पहुँचाने में कोई कसर छोडती नहीं दिख रही है. जिले में चल रहे न्याय आपके द्वार अभियान के तहत नवलगढ़ ब्लाक की नवलडी ग्राम पंचायत से जिले में एक नयी पहल की शुरुवात की गयी. इसके अंर्तगत जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा स्थापित इ-मित्र प्लस मशीन पर एक नयी सेवा का शुभारम्भ किया गया जिसके माध्यम से न्याय आपके द्वारा शिविरों में हो रहे राजस्व न्यायालयों के फैसलों की नक़ल को नागरिक स्वयं ही निर्धारित शुल्क मशीन में जमा करा कर प्राप्त कर सकेगा.

जिले में इस सेवा का आगाज़ राजस्व मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अमराराम चौधरी तथा राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष वी. श्रीनिवास ने कलक्टर के कोर्ट के एक फैसले की मशीन से नक़ल निकाल कर किया. जिला कलक्टर दिनेश कुमार यादव ने बताया कि यह फैसला आज ही किया गया था तथा आज ही यह फैसला मशीन से डाउनलोड हेतु उपलब्ध हो गया है. इस अवसर पर बोर्ड के सदस्य इन्द्रजीत राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जे पी बुनकर, अतिरिक्त जिला कलक्टर एम आर बागडिया, उपखंड अधिकारी दुर्गा प्रसाद मीना, नवलगढ़ प्रधान गजाधर ढाका व सूचना प्रोद्योगिकी के एसीपी घनश्याम गोयल तथा प्रोग्रामर विनोद कुमारी इत्यादि मौजूद रहे.

एसीपी गोयल ने बताया कि इ-मित्र प्लस मशीन बैंक एटीएम से मिलती जुलती मशीन है. जिस प्रकार बैंक के एटीएम से पैसे बिना बैंक जाए नागरिक द्वारा पैसे स्वयं आहरण किये जा सकते हैं, उसी प्रकार इ-मित्र प्लस मशीन पर भी बिना इ-मित्र की दूकान पर जाए नागरिक द्वारा सरकारी सेवाएँ स्वयं द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है. वर्तमान में इस मशीन पर कोई भी व्यक्ति मूल निवास, जाति, जन्म, विवाह प्रमाण पत्र लेने के अलावा पानी, बिजली व टेलीफोन आदि के बिल भी जमा करवा सकता है. मशीन में राशि नगद अथवा एटीएम कॉड से जमा करवाई जा सकती है.

आम आदमी को न्याय देना

सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल

--राजस्व मण्डल अध्यक्ष

झुंझुनूं, 15 जून। राजस्व मण्डल अजमेर के अध्यक्ष वी.श्रीनिवास शुक्रवार को जिला कलक्टर दिनेश कुमार यादव, अतिरिक्त जिला कलक्टर मुन्नीराम बागड़िया एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर लम्बित राजस्व मुकदमों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने न्याय अनुभाग व राजस्व शाखा में संबंधित कर्मचारियों से वहां की कार्य प्रणाली की भी जानकारी ली तथा उन्होंने लूज पेपर्स के बारे में हिदायत दी कि प्रत्येक फाइल कम्पलीट होनी चाहिये ताकि आपके जाने के बाद कोई भी उसको संधारित कर सकें।

राजस्व मण्डल के अध्यक्ष ने बैठक लेने के बाद बताया कि इस जिले में सबसे ज्यादा लगभग11 हजार राजस्व मुकदमें लम्बित है, जो गंभीरता का विषय है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सभी लम्बित मुकदमों को निर्धारित समय सीमा में निस्तारित करने की कार्य योजना तैयार कर रही हैजिससे कि लोगों को समय पर न्याय मिल सके।

उन्होंने राज्य सरकार के राजस्व अदालत न्याय आपके द्वार अभियान का जिक्र करते हुए बताया कि वे एक मई2018 से अब तक 32 जिलों का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने इस अभियान को किसानों के लिये हितकारी बताते हुए कहा कि इस अभियान में प्रदेश के लगभग40 लाख लोगों को रास्ते के विवाद, आपसी बंटवारे एवं पट्टे वितरण के कायार्ंे का निस्तारण हुआ है। उन्होंने इस अभियान को लोगों के लिये वरदान बताते हुए कहा कि सरकार

अब सभी राजस्व रिकॉर्ड्स के लगभग 2 लाख 15 हजार ई-मित्र प्लस में लाया जा चुका है। किसी भी व्यक्ति को अब अपने राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी के लिये अजमेर जाने की जरूरत नहीं है।

श्री श्रीनिवास ने बताया कि सरकार ने लगभग 10 हजार गांवों मेंे ई-मित्र प्लस की सुविधा से जोड़ा जा रहा है। इससे लोगों को आम आदमी को न्याय देना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि सरकार प्रतिमाह लगभग एक हजार600 केसों के निस्तारण की कार्य योजना बनाने जा रही है।

इस अवसर पर राजस्व मण्डल सदस्य इन्द्रसिंह राव जिला कलक्टर दिनेश कुमार यादव, राजस्व अपील अधिकारी बी.एल. मेहरडा, अतिरिक्त जिला कलक्टर मुन्नीराम बागडिया, एसडीएम अल्का विश्नोई, सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे।

प्रत्येक सोमवार से बुधवार तक कोर्ट में सिटिंग करें अधिकारी

पुराने लम्बित प्रकरणों पर भी दे अधिक ध्यान

--राजस्व मण्डल अध्यक्ष

झुंझुनूं, 15 जून। सूचना केन्द्र के सभागार में शुक्रवार को आयोजित हुई झुंझुनू बार एसोशिएसन की बैठक को सम्बोधित करते हुए राजस्व मण्डल अजमेर के अध्यक्ष वी.श्रीनिवास ने कहा कि एसडीओ अपने न्यायालय में सप्ताह के सोमवार से बुधवार (तीन दिवस) आवश्यक रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर प्रकरणों पर सुनवाई करें। उन्होंने कहा कि जिस दिन किसी प्रकरण में गवाही होनी हो,जहां तक संभव हो उसी दिन गवाहों के बयान रिकार्ड कर उन्हें राहत दी जाएं। उन्होंने पुराने प्रकरणों पर चर्चा करते हुए कहा कि जिले में 11500 राजस्व मुकदमें कोर्ट में पैंडिंग है, जिनको निर्धारित समय सीमा में निस्तारित करने की कार्य योजना तैयार की जा रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के डिजिटल इंण्डिया के सपने को साकार करने के लिए अब राजस्व मण्डल भी सक्रिय हो चुका है। जल्द ही कोर्ट में लम्बित प्रकरणों की सूचना लोगों को आसानी से उनके मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएगी। केस की तारिख से लेकर तारिखों पर होने वाले डिसिजन तक की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि कई प्रकरणों में तहसीलदार स्वयं मौके पर न जाकर पटवारी या अन्य से रिपोर्ट मंगवाकर पेश कर देते है जो सही नहीं है उन्हें स्वयं मौका स्थिति देखकर रिपोर्ट देनी चाहिए।

इस अवसर पर राजस्व मण्डल सदस्य इन्द्रसिंह राव जिला कलक्टर दिनेश कुमार यादव, राजस्व अपील अधिकारी बी.एल. मेहरडा, अतिरिक्त जिला कलक्टर मुन्नीराम बागडिया, एसडीएम अल्का विश्नोई, तहसीलदार दमयंती कंवर, बार एसोशिएसन के अध्यक्ष सुरेन्द्र भाम्बू सहित बड़ी संख्या में बार एसोशिएसन के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे।